विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	शहरी विकास
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	1235
उत्तर की तिथि	:	17.09.2020
विषय	:	सीवरेज व्यवस्था
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री अनिरूद्ध सिंह (कसुम्पटी)
सम्बन्धित मंत्री	:	शहरी विकास मन्त्री।

प्रश्न	उत्तर
क्या **शहरी विकास मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि कसुम्पटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कांगणाधार फेज–6 सीवरेज व्यवस्था से वंचित है; यदि हां, तो इस क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था कब तक उपलब्ध करवा दी जाएगी?	यह सत्य नहीं हैं कि कसुम्पटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कांगणाधार फेज–6 सीवरेज व्यवस्था से वंचित हैं। इस क्षेत्र का 97 प्रतिशत भाग सीवरेज व्यवस्था से जुड़ा है और केवल 3 प्रतिशत भाग सीवरेज व्यवस्था से जोडना शेष है। विस्तृत सूचना **अनुबन्ध क** पर है।

अनुबन्ध क

शिमला शहर का कंगणाधार सेक्टर–6, क्षेत्र नगर निगम की परिधि मे आता है, कंगणाधार फेज–6 में 97 प्रतिशत भाग मल प्रवाह योजना से जुडा है, और 3 प्रतिशत भाग जुडना शेष है। इस वार्ड के सर्वे के अनुसार कुल 650 मकान है, जिनमें से 635 मकानों को सीवरेज व्यवस्था से जोडा जा चुका है तथा 15 मकानों को जोडना शेष है। इस क्षेत्र में सीवरेज की पुरानी व्यवस्था सिचांई एवं जन स्वस्थ्य विभाग व हिमुडा द्वारा बिछाई गई थी, जोकि पुरानी होने के कारण सीवरेज का सही निष्पादन नहीं कर पा रही है। पुरानी सीवरेज व्यवस्था का उन्नयन (upgradation) और शेष 3 प्रतिशत भाग को सीवरेज सुविधा प्रदान करने हेतु 76.67 लाख रूपये का प्रांकलन विश्व बैंक की सहायता से स्वीकृत किया गया है, जिसमे 2675 मीटर पाईप लाईन व 88 चैम्बर बनाने का कार्य करना प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से 2150 मीटर 100 mm व्यास की पाईपों को 150 mm व्यास में बदलने के लिए और 525 मीटर 150 mm व्यास की पाईप शेष 3 प्रतिशत भाग को जोड़ने के लिए प्रस्तावित है, इस कार्य की निविदाएं आमंत्रित की जा रही है और अति शीघ्र कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

******